FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

खेमाराम बनाम भगताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. का. 229 RTAct नं. 78/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/03/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिड़मलराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 229 RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/03/2022 को पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर)	
30/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 28/04/2022 को पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला-बाड़मेर)	
28/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलीवरी रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/06/2022 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

न्यायालय सहायक
पीठासीन अ...
राजस्व...

14/06/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु.

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडपालसिंह बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का रिव्यू आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्र07 मुद्दे
छपनी
10.6.

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिहं आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सख्या :—78 / 22

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
केशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी कुम्पलिया तहसील गिडा जिला बाड़मेर		1. बगताराम पुत्र अचलाराम 2. ईन्दाराम पुत्र राजूराम 3. अनोपाराम पुत्र राजूराम 4. दली पत्नि राजूराम जाति जाट निवासी कुम्पलिया तहसील गिड़ा जिला बाडमेर 5. तहसीलदार गिड़ा

पुनर्विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहपठित आदेश 47 नियम 1 एवं धारा 151,152 सी पी सी

उपस्थिति :— 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

दिनांकः—14/06/2022

आदेश

प्रार्थी की और से जरिये अधिवक्ता राजस्व वाद सख्या 37 / 2020 अनवान केशाराम बनाम बगताराम वगैरा में पारित अतिंम निर्णय व डिकी दिनांक 21 / 02 / 2022 को निरस्त कर मूल वाद को प्राथमिक डिकी अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने बाबत् रिव्यु आवेदन इस न्यायालय मे पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी की सयुक्त खातेदारी कि भुमि के खेत मूल खसरा नम्बर 425 रकबा 34.07 बीघा, मौजा कुम्पलिया खसरा नम्बर 157 रकबा 01.16 बीघा व खसरा नम्बर 339 रकबा 51.08 बीघा, मौजा गोदारो की ढाणी खसरा नम्बर 419 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 420 रकबा 15.12 बीघा खसरा नम्बर 423 रकबा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 424 रकबा 03 बिस्वा मौजा जांगूओ की ढाणी मे आये हुई है। जिसके सबंध में वादी ने अपने वाद मे 1/3 हिस्सा वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड प्रथक करने हेतु पेश किया गया जिसका प्रतिवादी ने इकबाली जवाब व काउटर क्लेम पेश कर काउटर क्लेम मे प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपना 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक ने अपना 1/9, 1/9 हिस्सा प्रथक करने हेतु पेश किया तथा उक्त वादग्रस्त भुमि के सम्बध मे प्रतिवादीगणों द्वारा किसी खसरे मे कम या ज्यादा कब्जे काश्त बारे मे कोई उजर एतराज पेश नही किया गया था। तत्पश्चात न्यायालय श्री द्वारा वादी व प्रतिवादीगणों के अनुतोष अनुसार हिस्सा घोषित कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई। जिसमें तहसीलदार गिडा को कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार गिडा द्वारा दिनांक 08.09.2020 को प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जो बाद सुनवाई दिनांक 27.10.2020 को निरस्त कर पुनः प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी कि गई लेकिन पुनः तहसीलदार गिड़ा द्वारा पुर्व मे भेजे गये विभाजन प्रस्ताव कि कॉपी कर भिजवाई गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अतिंम डिक्री जारी कर दि गई।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

र्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस किये गये रजिस्ट्रर्ड नोटिस कि डिलेवरी रिपोर्ट प्रार्थी वकील द्वारा पेश कि गई ,प्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध दिनांक 28.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थना पत्र के सम्बध में प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी व प्रार्थना पत्र के सलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया गया, अध्ययन करने के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् दावा पुनर्विलोकन (रिव्यू) के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 37 / 2020 अनवान केशाराम बनाम बगताराम में जारी अतिंम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जाकर निर्णित पत्रावली को पुनः बरामद कर नम्बर पर ली जावें।

आदेश आज दिनांक 14/06/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर
(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ)
बायतु